रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/ कार्तिक 13, 1937
No. 683] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/ KARTIKA 13, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवंबर, 2015

सा.का.नि.835(अ).-केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क, की उपधारा (1) और लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील प्राधिकरण की स्थापना करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(1) न्यायमूर्ति श्री पी.के. भसीन
न्यायाधीश (सेवानिवृत्त),
दिल्ली उच्च न्यायालय,
नई दिल्ली
-अध्यक्ष

(2) डा. नवरंग सैनी,
निदेशक (जांच और निरीक्षण),
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
-सदस्य

(3) श्री प्रवीन गर्ग,
संयुक्त सचिव,
न्याय विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय,
जैसलमेर हॉउस,
नई दिल्ली-110011
-सदस्य

(4) श्री कमलेश एस. विकमसे,
सनशाईन टावर, लेवल 19,
सेनापति बापट मार्ग,
एल्फिनस्टोन रोड,
मुंबई-400013
-सदस्य
[चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1)(ख) के अधीन नियुक्त]

(5) श्री सुनील गोयल,
एसआरजी हॉउस,2, एम.आई. रोड,
गणपति प्लाजा के सामने,
जयपुर-302001

-सदस्य
[चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1)(ख) के अधीन नियुक्त]

(6) श्री प्रवाकर मोहंती,
एचआईजी-188, फेज़. VII,
सेलाशिरी विहार,
चन्द्रशेखरपुर,
भुवनेश्वर-751021
ओडिशा

-सदस्य
[लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 22क के अधीन नियुक्त]

(7) श्री बी.एम. शर्मा,
बी-2 नीलसदन अपार्टमेंटस,
1426,सदाशिव पीठ,
पुणे विधार्थी गृह के सामने,
पुणे-411030

-सदस्य
[लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 22क के अधीन नियुक्त]

(8) सुश्री प्रीति मल्होत्रा,
1 पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली-110011

-सदस्य
[कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22क के अधीन नियुक्त]

(9) श्री संजय ग्रोवर,
बी-88, प्रथम तल, रिंग रोड,
डिफेंस कॉलोनी,
नई दिल्ली-110024

-सदस्य
[कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22क के अधीन नियुक्त]

2. अध्यक्ष की पदावधि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ख की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होंगी और सदस्यों की चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ख की उपधारा (2), लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 22ख और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22ख के उपबंधों के अनुसार होंगी।

3. अपील प्राधिकरण चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22घ की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करेगा।

4. अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और निबंधन तथा भत्ते अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 द्वारा शासित होंगे।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 12/15/2007-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2015

G.S.R. 835(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), Section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and Section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby establishes an Appellate Authority consisting of the following persons, namely:—

(1) Shri Justice P.K. Bhasin,
Judge (Retd.),
High Court of Delhi,
New Delhi.

-Chairperson

(2) Dr. Navrang Saini,
Director (Inspection and Investigation),
Ministry of Corporate Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delh-110001.

- Member

(3) Shri Praveen Garg,
Joint Secretary,
Department of Justice,
Ministry of Law and Justice,
Jaisalmer House,
New Delhi-110011.
-Member

(4) Shri Kamelesh S. Vikamsey,
Sunshine Tower, Level 19,
Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road,
Mumbai-400013.
-Member
[Appointed under sub-section (1)(b) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949]

(5) Shri Sunil Goyal
SRG House, 2, M.I. Road,
Opp. Ganpati Plaza,
Jaipur-302001.
-Member
[Appointed under sub-section (1) (b) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949]

(6) Shri Pravakar Mohanty,
HIG-188, Ph. VII,
Sailashree Vihar,
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar-751021
Odisha.
-Member
[Appointed under section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959]

(7) Shri B.M. Sharma,
B-2 Neelsadan Apartments,
1426, Sadashiv Peth,
Opp. Pune Vidyarthi Griha,
Pune-411030.
- Member
[Appointed under section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959]

(8) Ms. Preeti Malhotra
1 Prithviraj Road
New Delhi 110011.
- Member
[Appointed under section 22A of the Company Secretaries Act, 1980]

(9) Shri Sanjay Grover,
B-88, First Floor, Ring Road,
Defence Colony,
New Delhi 110024.
- Member
[Appointed under section 22A of the Company Secretaries Act, 1980]

2. The term of office of the Chairperson shall be as per the provisions of sub-Section (1) of Section 22B of the Chartered Accountants Act, 1949 and of Members shall be as per the provisions of sub-Section (2) of Section 22B of the Chartered Accountants Act, 1949, Section 22B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 and Section 22B of the Company Secretaries Act, 1980.

3. The Appellate Authority shall regulate its own procedure as per the provisions of sub-Section (2) of Section 22D of the Chartered Accountants Act, 1949.

4. The terms and conditions of services and allowances of the Chairperson and Members of the Appellate Authority shall be governed by the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and Members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006.

5. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 12/15/2007-PI]
MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.